कोल इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
COAL INDIA LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)
कोल भवन "COAL BHAWAN"
Premise No. 04, MAR, Plot No. AF-III
Action Area-1A, Newtown, Rajarhat
KOLKATA-700156 (WB)

एक महारत्न कंपनी
A Maharatna Company

POLICY CELL
CIN: L23109WB1973GOI028844
E-Mail: policycell.cil@coalindia.in
Tel: 033-7110 4271
Website: www.coalindia.in

(An ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 50001:2011 Certified Company)

Ref No: CIL/C5A (PC)/2024/CPRMSE/1234 Date: 29.07.2024

Office Memorandum

Subject: Modification in Clause 6.2.1.(A).(1) of CPRMSE.

In reference to clause 6.2.1 regarding **clarification w.r.t reimbursement of hospitalization charges to UNDECLARED NOMINEE under CPRMSE wherein both the beneficiary has expired,** please note the following modification:

In cases where the claim for reimbursement of hospitalization bills of a deceased member (who was the last surviving member of a particular CPRMSE Card) is received from a person claiming to be the nominee/child of the deceased member, but there is NO registered/declared nominee in the said CPRMSE card, the matter is to be dealt with as per the following norms:

Clause No.	Existing Provision	Modified Provision
Clause 6.2.1 (A)	For Undeclared Nominee: The last IPD bill of the deceased beneficiary (who was the last surviving member of the said CPRMSE Card) may be reimbursed to the claiming person (i.e., the undeclared nominee) upon submission of the following documents: 1. **Affidavit before a first-class judicial magistrate mentioning that the claimant is one of the children/legal heir of the deceased employee/spouse. The affidavit should also contain the list of legal heirs of the deceased employee/spouse.** 2. Surrender the original CPRMSE Card. 3. Death Certificate of the expired member of CPRMSE 4. Indemnity Bond to indemnify CIL against any future liability. 5. ID Proof- Aadhaar & PAN Card of the claimant 6. Bank A/c Details of the claimant	For Undeclared Nominee: The last IPD bill of the deceased beneficiary (who was the last surviving member of the said CPRMSE Card) may be reimbursed to the claiming person (i.e., the undeclared nominee) upon submission of the following documents: 1. (i) A notarized affidavit mentioning that the claimant is one of the children/legal heirs of the deceased employee/spouse. The affidavit should also contain the list of legal heirs of the deceased employee/spouse. (ii) The claimant may also be asked to produce a No Objection Certificate (NOC) from the other legal heirs. (iii) In case of disputed matters, if required, a succession certificate or any

2907-2024

	Note: If the candidate is unable to submit any of the aforementioned documents, their claim shall not be entertained. Also, domiciliary charges will be paid to the claiming (undeclared) nominee on a pro-rata basis till the date of death of the member. If any additional domiciliary charges are paid (due to no information in the dealing departments), the same shall be adjusted with the hospitalization bill, and the final amount will be disbursed to the nominee.	order/declaration from a court may also be sought. All other conditions of the clause 6.2.1. (A) remains unchanged.

This is for your kind information and necessary compliance please.

Regards,

Dy. General Manager (P/PC),
CIL HQ

Distribution list :

i. D(T)/ D(M)/ D (P&IR)/ D(F), CIL
ii. D(P), BCCL/ CCL/ ECL/ MCL/ NCL/ SECL/ WCL
iii. D(F), BCCL/ CCL/ ECL/ MCL/ NCL/ SECL/ WCL
iv. D(T/CRD), CMPDIL
v. CMS/HoD(Medical), CIL/BCCL/ CCL/ ECL/ MCL/ NCL/ SECL/ WCL
vi. ED (Co-ordination), CIL
vii. GM, NEC
viii. GM/HoD (Personnel) CIL/BCCL/ CCL/ CMPDIL/ ECL/ MCL/ NCL/ SECL/ WCL
ix. TS to D(P&IR), CIL/BCCL/ CCL/ CMPDIL/ ECL/ MCL/ NCL/ SECL/ WCL
x. HoD, CIL New Delhi Office
xi. Mgr.(P/PC), CIL - for updation in HR Manual

कोल इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
COAL INDIA LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)
कोल भवन "COAL BHAWAN"
Premise No. 04, MAR, Plot No. AF-III
Action Area-1A, Newtown, Rajarhat
KOLKATA-700156 (WB)

एक महारत्न कंपनी
A Maharatna Company

POLICY CELL
CIN: L23109WB1973GOI028844
E-Mail: policycell.cil@coalindia.in
Tel: 033-7110 4271
Website: www.coalindia.in

(An ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 50001:2011 Certified Company)

संदर्भ सं: सीआईएल/सी5ए(पीसी)/2024/सीपीआरएमएसई/1234 दिनांक: 29.07.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सीपीआरएमएसई के खंड 6.2.1.(क) . (1) में संशोधन।

खंड 6.2.1 के संदर्भ में सीपीआरएमएसई के अधीन जहां दोनों लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी हो, अघोषित नामांकित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती शुल्क की प्रतिपूर्ति पर स्पष्टीकरण के संबंध में कृपया निम्नलिखित संशोधन पर ध्यान दें:

ऐसे मामलों में जहां किसी मृतक सदस्य (जो किसी विशेष सीपीआरएमएसई कार्ड का अंतिम जीवित सदम्य था) के अस्पताल में भर्ती होने के बिलों की प्रतिपूर्ति का दावा मृतक सदस्य का नामिती/बच्चा होने का दावा करने वाले व्यक्ति से प्राप्त होता है, लेकिन उक्त सीपीआरएमएसई कार्ड में कोई पंजीकृत/घोषित नामिती नहीं है, तो मामले को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार निपटाया जाएगा:

खण्ड सं.	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
खंड 6.2.1 (क)	अघोषित नामिती के लिए: मृत लाभार्थी (जो उक्त सीपीआरएमएसई कार्ड का अंतिम जीवित सदस्य था) के अंतिम आईपीडी बिल की प्रतिपूर्ति दावा करने वाले व्यक्ति (अर्थात, अघोषित नामांकित व्यक्ति) के द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने पर की जा सकती है: **1. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि दावेदार मृत कर्मचारी/उनके जीवनसाथी के बच्चों/कानूनी उत्तराधिकारियों में से एक है। शपथ पत्र में मृत कर्मचारी/ उसके जीवनसाथी के कानूनी उत्तराधिकारियों की सूची भी शामिल होनी चाहिए।** 2. मूल सीपीआरएमएसई कार्ड जमा करना। 3. सीपीआरएमएसई के मृत सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र 4. क्षतिपूर्ति बांड - सीआईएल को भावी देयता से बचाने के लिए क्षतिपूर्ति बांड।	अघोषित नामिती के लिए: मृत लाभार्थी (जो उक्त सीपीआरएमएसई कार्ड का अंतिम जीवित सदस्य था) के अंतिम आईपीडी बिल की प्रतिपूर्ति दावा करने वाले व्यक्ति (अर्थात, अघोषित नामांकित व्यक्ति) के द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने पर की जा सकती है: 1. (i) एक नोटरीकृत शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि दावेदार मृत कर्मचारी/ उनके जीवनसाथी के बच्चों/ कानूनी उत्तराधिकारियों में से एक है। शपथ पत्र में मृत कर्मचारी/ उनके जीवनसाथी के कानूनी उत्तराधिकारियों की सूची भी शामिल होनी चाहिए। (ii) दावेदार से अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण-

29.07.2024

	5. आईडी प्रमाण- दावेदार का आधार और पैन कार्ड 6. दावेदार के बैंक खाते का विवरण नोट: यदि दावेदार उपरोक्त कोई भी दस्तावेज जमा करने में असमर्थ है, तो उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, सदस्य की मृत्यु की तिथि तक आनुपातिक आधार पर दावा करने वाले (अघोषित) नामांकित व्यक्ति को अधिवास शुल्क का भुगतान किया जाएगा। यदि कोई अतिरिक्त अधिवास शुल्क का भुगतान किया गया है (संबंधित विभागों में कोई जानकारी न होने के कारण), तो उसे अस्पताल के बिल के साथ समायोजित किया जाएगा, तथा अंतिम राशि नामित व्यक्ति को भुगतान की जाएगी।	पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करने के लिए भी कहा जा सकता है। (iii) विवादित मामलों में, यदि आवश्यक हो, तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या न्यायालय से कोई आदेश/घोषणा भी मांगी जा सकती है। खंड 6.2.1.(क) की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

यह सभी संबंधितों के लिए सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

भवदीय,

नायर 29.07.2024

(राजेश वी. नायर)
उप महाप्रबंधक (का./नीति सेल)
सीआईएल, मुख्यालय कोलकाता

वितरण सूची:

i. निदेशक (तकनीकी)/निदेशक (विपणन)/निदेशक (का एवं औ.सं.)/निदेशक (वित्त), सीआईएल
ii. निदेशक (का एवं औ.सं.), बीसीसीएल/सीसीएल/ईसीएल/एमसीएल/एनसीएल/एसईसीएल/डब्ल्यूसीएल
iii. निदेशक (तकनीकी/सीआरडी), सीएमपीडीआईएल
iv. सीएमएस/विभागाध्यक्ष (चिकित्सा), सीआईएल/बीसीसीएल/सीसीएल/ईसीएल/एमसीएल/एनसीएल/एसईसीएल/डब्ल्यूसीएल
v. कार्यकारी निदेशक (समन्वय), सीआईएल
vi. महाप्रबंधक, एनईसी
vii. महाप्रबंधक/एचओडी (कार्मिक) सीआईएल/बीसीसीएल/सीसीएल/सीएमपीडीआईएल/ईसीएल/एमसीएल/एनसीएल/एसईसीएल/डब्ल्यूसीएल
viii. तकनीकी सचिव, निदेशक (का एवं औ.सं.) सीआईएल/बीसीसीएल/सीसीएल/सीएमपीडीआईएल/ईसीएल/एमसीएल/एनसीएल/एसईसीएल/डब्ल्यूसीएल
ix. विभागाध्यक्ष, सीआईएल नई दिल्ली कार्यालय
x. प्रबंधक (कार्मिक/पॉलिसी सेल), सीआईएल – मानव संसाधन मैनुअल में अद्यतनीकरण हेतु